



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-162-औस/2015-11(1)ए०एस०/०९(१४)

दिनांक: 14 जनवरी, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2218-औस/2014-11(1)ए०एस०/०९(१४) दिनांक 05 जुलाई, 2014 के अनुक्रम में कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/०२, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश सं०-3593-औस-17/पाकालि/ 2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानो/मानको एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता दिनांक 01.01.2015 से 30.06.2015 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है:-

1. चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों द्वारा कारपोरेशन द्वारा मांगी गई सूचनाओं में से सभी सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई है। कर्मचारियों को असुविधा न हो अतः इन चिकित्सालयों की दिनांक 01.01.2015 के उपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 30.06.2015 तक के लिए बढ़ायी गयी है। यदि 30.06.2015 तक इन चिकित्सालयों द्वारा वांछित सूचनाएं यथा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-2016 हेतु नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र, कारपोरेशन की दरों पर कार्य करने की सहमति एवं चिकित्सालय में उपचार कराने वाले कर्मिकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित चिकित्सालयों को मान्यता सूची से विलोपित कर दिया जाएगा।
2. चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम एवम् जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
लखनऊ 1	शालीमार हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, ए-989, इन्दिरानगर, लखनऊ।	30.06.2015
2	स्कॉट ई०एन०टी० हॉस्पिटल प्रा०लि०, बी-68, सेक्टर-सी, मन्दिर मार्ग, महानगर, लखनऊ।	30.06.2015
3	सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर प्रा०लि०, 57-बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।	30.06.2015
4	मेडिसन हॉस्पिटल, नियर टेढी पुलिया, रिंग रोड, लखनऊ।	30.06.2015
कानपुर 5	राजाराम हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, 26-ए एण्ड बी, ब्लाक-ई, पनकी, कानपुर।	30.06.2015
मेरठ 6	आकृति फाउन्डेशन, शाप नं०-7ए, सूर्यनगर, मेरठ।	30.06.2015
7	के०एम०सी० हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बागपत रोड, मेरठ।	30.06.2015
8	यशलोक हॉस्पिटल, ईस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ।	30.06.2015
9	लोकप्रिय हॉस्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ।	30.06.2015
10	सर्वोदय हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विहार, मोदीनगर।	30.06.2015
मुजफ्फरनगर 11	वर्धमान ट्रामा एण्ड लैप्रोस्कोपी सेन्टर प्रा०लि०, ए-36, साउथ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर।	30.06.2015
मुरादाबाद 12	ब्रह्मा लेजर सेन्टर, 149, अवास विकास, पीली कोठी, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।	30.06.2015

MEDICAL/2015

Naf Mathi
14.1.15

SPO

गजियाबाद 13	मानव हॉस्पिटल, बी-ब्लाक मार्केट, कविनगर, गाजियाबाद।	30.06.2015
वाराणसी 14	लाइफ लाइन हॉस्पिटल, बी0एच0यू0, डी0एल0डब्लू0 रोड, सुन्दरपुर, वाराणसी।	30.06.2015
15	गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, डाफी, लंका, वाराणसी।	30.06.2015
16	जीवन ज्योती हॉस्पिटल, 162, बाई का बाग, इलाहाबाद।	30.06.2015
आगरा 17	हेरिटेज हॉस्पिटल, नियर पिपुल्स होन्डा शोरूम, जवाहरनगर, आगरा।	30.06.2015
सीतापुर 18	बी0सी0एम0 हॉस्पिटल, खैराबाद, सीतापुर।	30.06.2015
बरेली 19	ईशान हॉस्पिटल प्रा0लि0, एफ-1, रामपुर गार्डन, अपोजिट विकास भवन, बरेली।	30.06.2015
झाँसी 20	शीला जैन हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मेडिकल कालेज, गेट नं0-3, के सामने, कानपुर रोड, झाँसी।	30.06.2015

- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी सूची के समस्त अथवा किसी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों / शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में उस सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या:-162-(1) औस/2015-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपो0 लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायें।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वित्तन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 12- प्रबन्धकगण -सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।

N.A. Mathur
(निवृत्त माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी